म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक : 7 जनवरी, 2009

क्रमांकः 75/म.प्र.विनिआ/2009. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) सहपठित धारा 86(1)(i) द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा दिनांक 4.01.2006 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता में निम्न संशोधन/परिवर्धन करता है :–

मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता में द्वितीय संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :** (i) यह संहिता **''मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता (द्वितीय संशोधन) [एजी–29 (ii), वर्ष 2009]''** कहलाएगी ।

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे ।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।

2. **धारा 4 में संशोधन :**

''मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता जिसे एतद् पश्चात् **''प्रधान संहिता''** कहा जावेगा, धारा 4 जो 'वितरण संहिता का प्रबंधन' संव्यवहारित करती है तथा वितरण संहिता समीक्षा दल (पेनल) के गठन से संबंधित है, को विलोपित किया जावेगा ।

3. **धारा 7 में परिवर्धन :**

प्रधान संहिता में, **कण्डिका 7.12.3** के उपरान्त एक **नई कण्डिका 7.12.4** अन्तर्स्थापित की जावेगी, अर्थात्

''7.12.4 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुसंधान तथा विकास संबंधी गतिविधियों का निष्पादन उप–पारेषण तथा वितरण प्रणाली में सुधार लाये जाने हेतु प्रचालन संबंधी तथा अन्य विशिष्ट समस्याओं के विश्लेषण तथा हल किये जाने हेतु किया जावेगा । अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों में नवीन प्रौद्योगिकी भारत तथा विदेश में वाणिज्यिक रूप से स्थापित किये गये उपकरण सम्मिलित होंगे तथा प्रारंभिक तौर पर इन्हें अपनाये जाने बाबत् सुझाव दिये जावेंगे । अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को राज्य के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाए जाने हेतु परस्पर आदान–प्रदान किया जावेगा । अनुसंधान तथा विकास से संबंधित व्यय को अनुज्ञप्तिधारी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुज्ञेय किया जावेगा ।''

4. धारा 20 में परिवर्धन :

प्रमुख संहिता में, **कण्डिका 10.5.10** के अन्त में निम्न वाक्य अन्तर्स्थापित किया जावेगा, अर्थात् : ''स्लाईडिंग विण्डो सिद्धान्त एकल फेज ऊर्जा मापयंत्र को लागू नहीं होगा ।''

5. धारा 10 में संशोधन :

प्रमुख संहिता में विद्यमान **कण्डिका 10.15.3** को विलोपित किया जावेगा ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, आयोग सचिव